जिस प्रकार मैकाइवर ने इस

परिवार की विशेषताएँ
(CHARACTERISTICS OF FAMILY)

परिवार का सम्बन्ध चाहे सभ्य समाजों से हो अथवा आदिम समाजों से, सभी परिवारों में कुछ ऐसी विशेषताएँ विद्यमान होती हैं जिनके आधार पर इन्हें अन्य समूहों से पृथक् किया जा सकता है। इनमें कुछ विशेषताएँ सामान्य हैं और कुछ जनजातीय सन्दर्भ में विशिष्ट। इन सभी विशेषताओं को संक्षेप में निम्नांकित रूप से स्पष्ट करके परिवार की प्रकृति को समझा जा सकता है :

परिवार की सामान्य विशेषताएँ (General Characteristics of Family)

(1) **सर्वव्यापकता** (Universality)—सभी सामाजिक संस्थाओं तथा समितियों में परिवार सबसे अधिक सर्वव्यापी है। इसका कारण है कि सामाजिक विकास के सभी स्तरों में परिवार किसी न किसी रूप में अवश्य पाया जाता रहा है। परिवार की सदस्यता सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है। जो व्यक्ति अविवाहित रहने के कारण परिवार की स्थापना नहीं कर पाते, वे भी अपने 'जन्म के परिवार' के सदस्य अवश्य होते हैं। परिवार की सार्वभौमिकता के कुछ अन्य कारण भी हैं। सर्वप्रथम, परिवार की सर्वव्यापकता का कारण इसके द्वारा मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। यौन-सम्बन्ध, सन्तानोत्पादन तथा शारीरिक-रक्षा

कुछ ऐसी महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ हैं जिनको आदर्श रूप से ही पूरा किया जा सकता है। दूसरी ओर परिवार के सांस्कृतिक, मनोरंजन सम्बन्धी, धार्मिक तथा सामाजिक कार्य इतने महत्वपूर्ण हैं कि परिवार एक सर्वव्यापी संस्था का रूप ले लेता है।

(2) **भावनात्मक आधार** (Emotional Basis)—परिवार के सभी सदस्य भावनात्मक आधार पर एक-दूसरे से बँधे रहते हैं। पति-पत्नी का सम्बन्ध, माँ का स्नेह, पालन-पोषण की व्यवस्था और पिता द्वारा दी गयी सुरक्षा परिवार की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जिनके कारण परिवार के सभी सदस्यों में परस्पर-स्नेह और सहयोग की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। इसी के फलस्वरूप परिवार शान्ति तथा सद्भावना का केन्द्र बन जाता है।

(3) **रचनात्मक प्रभाव** (Formative Influence)—परिवार के सभी सदस्यों का एक-दूसरे पर रचनात्मक प्रभाव होता है। रचनात्मक प्रभाव का तात्पर्य है कि परिवार अपने सदस्यों से उन्हीं व्यवहारों की आशा करता है जो सामाजिक रूप से सहयोगपूर्ण होते हैं। बच्चे पर माता-पिता के व्यवहारों का तो स्थायी प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन साथ ही वे स्वयं भी बच्चों के कार्यों द्वारा प्रभावित होते हैं। व्यक्तित्व के निर्माण और विकास में परिवार के इस क्रियात्मक महत्व को भूला नहीं जा सकता। इसी के फलस्वरूप परिवार में एक बार जिन आदतों और व्यवहार के तरीकों का निर्माण हो जाता है, वे जीवन-भर व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बने रहते हैं।

(4) **छोटा आकार** (Limited Size)—परिवार की एक विशेषता इसका छोटा आकार होना है। इसके सदस्य केवल वही व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने इसमें जन्म लिया हो, विवाह किया हो अथवा आपस में रक्त के द्वारा सम्बन्धित हों। भारत में परिवार का रूप यद्यपि कुछ समय पहले तक बहुत विस्तृत था, लेकिन संयुक्त परिवारों का विघटन होने के साथ ही अब अधिकांश समूहों में परिवारों का आकार छोटा होता जा रहा है।

(5) **सामाजिक ढाँचे में केन्द्रीय स्थिति** (Nuclear Position in Social Structure)—सम्पूर्ण सामाजिक संरचना में परिवार का स्थान केन्द्रीय है। जिस प्रकार सभी वस्तुओं व स्थानों में केन्द्रीय भाग का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार सम्पूर्ण समाज में परिवार का स्थान केन्द्रीय होने के कारण इसका सामाजिक संगठन में विशेष महत्व है। समाज का कोई भी सदस्य किसी कार्य को करते समय परिवार का सबसे अधिक ध्यान रखता है। वह जानता है कि एक केन्द्रीय इकाई के रूप में परिवार को संगठित रखना सबसे अधिक आवश्यक है। अरस्तू ने सर्वप्रथम समुदाय को 'परिवारों का संकलन' कहकर सम्बोधित किया था जिसका तात्पर्य यही था कि परिवार सम्पूर्ण समुदाय तथा सामाजिक जीवन का आधार है।

(6) **सदस्यों का असीमित उत्तरदायित्व** (Unlimited Responsibility of the Members)—परिवार वह स्थान है जहाँ व्यक्ति बड़े से बड़ा त्याग करने में भी संकोच नहीं करता और अपने कर्तव्यों और प्रयत्नों से वह परिवार को एक ऐसी तपोभूमि बना देता है जहाँ न स्वार्थ है न बैर, वरन् परस्पर सहानुभूति और सहायता में ही सभी सदस्य स्वर्गीय आनन्द की अनुभूति करते हैं। इसका कारण सदस्यों में असीमित उत्तरदायित्व की भावना होना है। परिवार के अतिरिक्त दूसरे सभी समूहों में व्यक्ति के कर्तव्य बहुत सीमित होते हैं, लेकिन परिवार में व्यक्ति सभी प्रकार के दायित्वों को अपने ऊपर ले लेता है, चाहे ऐसा करने से उसका कोई स्वार्थ पूरा होता हो अथवा न होता हो। इसका कारण यह है कि अन्य समूहों में

व्यक्ति की केवल एक या दो आवश्यकताएँ ही पूरी होती हैं, लेकिन परिवार व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का उत्तरदायित्व स्वयं उठाता है।

(7) **सामाजिक नियन्त्रण** (Social Regulation)—पारिवारिव नियम समाज में नियन्त्रण स्थापित करने में सबसे अधिक प्रभावपूर्ण सिद्ध होते हैं। परिवार व्यक्ति पर पग-पग पर अनेक नियन्त्रण लगाता है। सामाजिक सम्बन्धों, शिष्टाचार, व्यवहारों, रीति-रिवाजों, धर्म तथा शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में परिवार के नियन्त्रण द्वारा ही व्यक्ति का जीवन नियमित रहता है। इस प्रकार परिवार सामाजिक नियमन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है।

(8) **परिवार का स्थायी व अस्थायी स्वभाव** (The Permanent and Temporary Nature of Family)—परिवार एक समिति भी है और एक संस्था भी। यदि परिवार को पति-पत्नी और बच्चों का एक समूह मान लिया जाय, तब परिवार एक समिति है और यदि परिवार को कुछ नियमों और कार्यविधियों की एक व्यवस्था के रूप में देखा जाय, तब वह एक संस्था होगी। समिति के रूप में परिवार अस्थायी है, क्योंकि यदि पति-पत्नी विवाह-विच्छेद अथवा किसी अन्य कारण से अलग हो जायें तब एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति रुक जाती है और इस प्रकार परिवार के पुराने रूप में परिवर्तन हो जाता है। संस्था के रूप में परिवार स्थायी है, क्योंकि पति-पत्नी अथवा बच्चों में किसी एक या दो के न रहने पर भी पारिवारिक नियमों अथवा परिवार की परम्परा समाप्त नहीं होती। इस कारण परिवार का स्वभाव स्थायी व अस्थायी दोनों ही प्रकार का है।

जनजातीय परिवारों की विशेषताएँ (Characteristics of Tribal Families)

जनजातियों की सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था सभ्य समाजों से बहुत कुछ भिन्न होने के कारण उनके परिवार की संरचना, नियमों तथा अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों में कुछ विशिष्ट तत्वों का समावेश है। प्रस्तुत विवेचन में परिवार की व्याख्या मानवशास्त्रीय सन्दर्भ में करने के कारण इन विशेषताओं को समझना आवश्यक हो जाता है।

(1) **संस्थात्मक प्रकृति** (Institutional Nature)—जनजातीय अथवा आदिम परिवारों की प्रकृति बहुत कुछ संस्थात्मक है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक परिवार में जहाँ उपभोग और उत्पत्ति का कार्य करना आवश्यक समझा जाता है, वहीं परिवार में ऐसे कार्यों को विशेष महत्व दिया जाता है जिससे जनजाति की सांस्कृतिक विशेषताओं को स्थायी बनाये रखा जा सके। दूसरे शब्दों में, परिवार संस्कृति की निरन्तरता का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

(2) **स्वरूप में विभिन्नता** (Diversity in Types)—जनजातीय परिवारों में विभिन्न आधारों पर एक स्पष्ट विभिन्नता दिखायी देती है। किसी जनजाति में परिवार का आकार बहुत छोटा है तो किसी में बहुत विस्तृत। यहाँ परिवार की स्थापना केवल एकविवाह के द्वारा ही नहीं होती बल्कि बहुपति विवाह तथा बहुपत्नी विवाह के द्वारा भी परिवार की स्थापना की जाती है। उदाहरण के लिए, भारत की गोंड, बैंगा, टोडा तथा कुछ नागा जनजातियों में एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह-सम्बन्ध स्थापित करके परिवार की स्थापना करता है जबकि खस, नीलगिरि पर्वत के टोडा, केरल की 'टियान' तथा मालाबार की 'कम्मल' जनजाति में एक स्त्री अनेक पुरुषों से विवाह करके परिवार की स्थापना करती है। इसके पश्चात् भी अधिकांश जनजातियों में एकविवाह ही परिवार का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। सत्ता के आधार पर जनजातीय परिवार मातृसत्तात्मक तथा पितृसत्तात्मक जैसे दो प्रमुख भागों में विभाजित हैं।

सभ्यता के सम्पर्क के कारण आज अधिकांश जनजातीय परिवारों में वंश का नाम पितृ-पक्ष से सम्बन्धित हो गया है, लेकिन भारत की खासी और गारो जनजाति तथा मालाबार के नायरों में वंश का नाम मातृ-पक्ष से चलता है, पिता के पक्ष से नहीं।

(3) **स्त्रियों की उच्च स्थिति** (Higher Status of Women)—परिवार में स्त्रियों की स्थिति के दृष्टिकोण से भी जनजातीय परिवार सभ्य समाजों से बहुत कुछ भिन्न हैं। किसी जनजाति में परिवार का रूप चाहे पितृसत्तात्मक ही क्यों न हो, लेकिन ऐसी कोई जनजाति नहीं मिलेगी जिसमें व्यावहारिक रूप से स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता हो। साधारणतया घर की देख-रेख, समारोहों का आयोजन, वस्तुओं का वितरण तथा धार्मिक क्रियाओं की पूर्ति स्त्रियों के द्वारा ही की जाती है। इन परिवारों में बच्चों को भी तुलनात्मक रूप से अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त होती है तथा उनके समाजीकरण में स्त्रियों की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है।

(4) **उत्पादन की इकाई** (Unit of Production)—जनजातीय परिवारों को उत्पादन की एक प्रमुख इकाई के रूप में देखा जाता है। इसका तात्पर्य है कि परिवार के सभी सदस्य मछली मारने, खेती करने अथवा किसी अन्य साधन से आजीविका उपार्जित करने के कार्य में लगे होते हैं। उनके बीच कार्यों का विभाजन बहुत कुछ आयु तथा लिंग के आधार पर होता है।

(5) **सामूहिकता का आधार** (Basis of Collectivity)—सामाजिक तथा कार्यात्मक दृष्टिकोण से जनजातीय परिवार एक समन्वित इकाई है जिसमें व्यक्तिवादिता का अधिक प्रभाव नहीं हो सका है। जनजातियों की संस्कृति भी बच्चों को ऐसी शिक्षाएँ देती है जिससे वे एक-दूसरे के प्रति अपने अधिकाधिक दायित्वों को पूरा कर सकें तथा अपने समूह को संगठित रखे सकें।

(6) **भावनात्मक विशिष्टता** (Emotional Peculiarity)—साधारणतया यह समझा जाता है कि पति-पत्नी के बीच भावनात्मक सम्बन्धों का दृढ़ होना बहुत कुछ यौन-सम्बन्धों पर निर्भर होता है। जनजातीय परिवारों की यह विशेषता है कि यहाँ विवाह से पूर्व तथा विवाह के बाद स्त्रियों और पुरुषों को यौन के क्षेत्र में काफी स्वतन्त्रता मिलने के बाद भी परिवार भावनात्मक रूप से दुर्बल नहीं होते। इसका कारण जनजातियों में कुछ ऐसी सांस्कृतिक तथा व्यवहार सम्बन्धी विशेषताएँ हैं जो परिवार के सदस्यों को भावनात्मक रूप से बाँधे रखती हैं।

(7) **सामाजिक स्थिति प्रदान करने का आधार** (Basis of Status Ascription)—जनजातियों में परिवार व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण आधार है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा सम्मान उसके व्यक्तिगत प्रयत्नों से अधिक सम्बन्धित नहीं होती बल्कि इसका निर्धारण बहुत कुछ उसके परिवार की प्रतिष्ठा के आधार पर होता है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्नशील रहता है।